

तार : "बैटनार्थ"
Gram : "BATNORH"

दूरभाष/Ph. : 0512-2584056, 57
फैक्स / Fax : 0512-2581504, 52

E-Mail : batnorth@dataone.in

Website : www.boatnr.org

शिक्षता प्रशिक्षण बोर्ड

(उत्तरी क्षेत्र)

NTMIS : 0512-2584052



BOARD OF APPRENTICESHIP TRAINING

(Northern Region)

(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग)
(Govt. of India, Ministry of H.R.D., Deptt. Of Higher Education)

प्लॉट सं० 16, ब्लॉक 1-ए
लखनपुर, कानपुर-208024 (उ०प्र०)
Plot No. 16, Block 1-A
Lakhanpur, Kanpur-208024(UP)

पत्रांक :
Ref. : बी०टी०/सरकुलर-1/439-2938

दिनांक :
Dated : 26-04-2011

समस्त नियोक्ता एवं
विभागाध्यक्ष, इंजीनियरिंग कालेज/ पालीटेक्निक/व्यावसायिक संस्थान
उत्तरी क्षेत्र ।

विषय : शिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षणरत शिशिक्षुओं को देय
वृत्तिका राशि (Stipend) के पुनरीक्षण के संबंध में ।

प्रिय महोदय,

भारत सरकार ने अपने राजपत्र असाधारण भाग-2-खण्ड 3-उपखण्ड (i) दिनांक 23 मार्च 2011 के द्वारा अभि० स्नातक, डिप्लोमाधारी एवं व्यावसायिक शिशिक्षुओं को देय न्यूनतम वृत्तिका राशि दरों को पुनरीक्षित कर दिया है जिसकी एक प्रति इस पत्र के पृष्ठ भाग पर आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मुद्रित है ।

बढ़ी हुई दरें दिनांक 23 मार्च 2011 से प्रभावी है । उक्त दरों के अनुसार सभी पंजीकृत शिशिक्षुओं को किये गये भुगतान के 50 प्रतिशत अंशदान की प्रतिपूर्ति इस कार्यालय द्वारा पूर्व की भांति की जायेगा । आपसे अनुरोध है कि कृपया शिशिक्षुओं को पुनरीक्षित दरों से ही भुगतान करें ।

समस्त प्रपत्र एवं अन्य सूचनाएं बोर्ड की Website : www.boatnr.org पर उपलब्ध हैं ।

भवदीय,
रमेश चन्द्र शुक्ला
(रमेश चन्द्र शुक्ल)
निदेशक

All Employers & Heads of Engg.College/Polytechnic/ Vocational Institutions in Northern Region.

Subject : **Revision of Rates of Stipend for apprentices undergoing training
under Apprentices Act 1961.**

Dear Sir,

The Govt. of India vide Gazette Notification in the Gazette of India (Extra-ordinary) Part-II-Section-3-Sub Section (i) dated 23rd March, 2011 has revised the minimum rates of Stipend payable to Engg. Graduates, Technician (Diplomaholder) and technician (Vocational) Apprentices. A copy of the Gazette is reproduced on the back for your information and necessary action.

The revised rates are effective from 23rd March, 2011. 50% of this amount is reimbursable from the Board of Apprenticeship Training (N.R.) in case of apprentices registered with the Board as per previous practice. You are advised to pay the enhanced rates of stipend as given on the back and claim 50% accordingly.

All relevant Proformae & other information is available at Board's Website :
www.boatnr.org.

Yours faithfully,

(R. C. SHUKLA)
DIRECTOR